भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3929
17 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

मछुआरों की संरक्षा के लिए तलकर्षण कार्य

3929. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वनकवारा और दीव पत्तन पर मछुआरों की संरक्षा और नौकाओं की सुगम आवाजाही के लिए तलकर्षण कार्य हेतु निविदाएं जारी की गई थीं, लेकिन कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अधिसूचना की तारीख क्या है, अनुमानित लागत कितनी है और कार्य शुरू न होने के मुख्य कारण (वित्तीय/पर्यावरणीय/विवाद) क्या हैं;

(ग) क्या बांकवारा मत्स्यपालन पत्तन के लिए प्रस्तावित बंदरगाह (मत्स्यपालन पत्तन विकास परियोजना) का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना की कुल स्वीकृत लागत कितनी है और वित्तीय स्रोत (केंद्र / संघ राज्यक्षेत्र/पीएमएमएसवाई) क्या हैं तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या परियोजना में विलंब के लिए किसी अभिकरण / अधिकारी को जवाबदेह ठहराया गया है,

(च) क्या सरकार का प्रभावित मछुआरों को अस्थायी वैकल्पिक घाट/चैनल तलकर्षण की सुविधा प्रदान किए जाने का विचार है, और

(छ) यदि हां, तो इसके कब तक होने की अपेक्षा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ख): वनकबरा फिशिंग हार्बर और दीव पत्तन पर ड्रेजिंग कार्यों को वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने सूचित किया है कि वनकबरा फिशिंग हार्बर और दीव पत्तन में ड्रेजिंग कार्यों के लिए टेंडर 06.03.2024 को जारी किए गए थे, जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः ₹80.28 करोड़ और ₹81.34 करोड़ थी। हालांकि, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। तत्पश्चात्, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 04.06.2024 को परियोजना को दी गई स्वीकृति रद्द कर दी। इसके बाद, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने सागरमाला योजना के तहत वनकबरा फिशिंग हार्बर और दीव पोर्ट में ड्रेजिंग कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हालांकि, सागरमाला योजना 15वें वित्त आयोग चक्र के साथ सह-समाप्त (को-टर्मिनस) होती है और वर्तमान में इस योजना के तहत कोई वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 04 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 128.86 करोड़ रुपए की लागत से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के दीव में वनकबरा में एक स्मार्ट और इन्टीग्रेटेड फिशिंग हार्बर के विकास के लिए दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। यह परियोजना दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा कार्यान्वित की जानी है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने सूचित किया है कि प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया के दौरान केवल एक एजेंसी को योग्य पाया गया था, जिसके कारण कार्य को पुनः निविदा के लिए रखा गया। दूसरी निविदा 29.10.2025 को खोली गई, किन्तु प्राप्त वित्तीय बोली परियोजना की अनुमोदित लागत से अधिक पाई गई।

(च) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्र शासित प्रशासन ने सूचित किया है कि ड्रेजिंग कार्य इस तरह से योजनाबद्ध की गई हैं जिससे फिशिंग गतिविधियाँ प्रभावित न हों ।

(छ): प्रश्न नहीं उठता ।
